माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब के न्यायालय में

जी.डब्ल्यू. याचिका संख्या ___ वर्ष 2026

प्रकरण में:

[पिता/माता का नाम], पुत्र/पुत्री/पत्नी [नाम], आयु लगभग ___ वर्ष, निवासी [पूरा पता] — याचिकाकर्ता

बनाम

[प्रतिवादी का नाम], पुत्र/पुत्री/पत्नी [नाम], आयु लगभग ___ वर्ष, निवासी [पूरा पता] — प्रतिवादी

अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धाराएँ 7, 10 एवं 17 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 के साथ पढ़ते हुए तथा अन्य सभी सक्षम कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत नाबालिग बच्चे की स्थायी अभिरक्षा/अभिरक्षा की बहाली तथा उपयुक्त मुलाकात/संपर्क अधिकार प्रदान करने हेतु याचिका

सविनय निवेदन है:

पक्षकारों का विवरण

1. कि याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे मास्टर/मिस [बच्चे का नाम], जन्म दिनांक [जन्म तिथि] का [पिता/माता] है तथा वर्तमान में याचिका के शीर्षक में उल्लिखित पते पर निवास करता/करती है।

2. कि प्रतिवादी नाबालिग बच्चे का [पिता/माता] है तथा वर्तमान में [पता] पर निवास करता/करती है।

3. कि नाबालिग बच्चा वर्तमान में [प्रतिवादी की अभिरक्षा में/प्रतिवादी के साथ रह रहा है/दादा-दादी या नाना-नानी के साथ रह रहा है/अन्यथा]।

नाबालिग बच्चे का विवरण

4. कि जिस नाबालिग बच्चे के संबंध में वर्तमान याचिका दायर की जा रही है, उसका विवरण निम्न है:

नाम: मास्टर/मिस _____

जन्म तिथि: _____

आयु: _____

लिंग: _____

जन्म स्थान: _____

विद्यालय: _____

वर्तमान कक्षा: _____

वर्तमान निवास: _____

वर्तमान अभिरक्षक: _____

5. कि नाबालिग बच्चा वर्तमान में लगभग ___ वर्ष का है और अपने शारीरिक, भावनात्मक, शैक्षणिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए पक्षकारों पर निर्भर है।

विवाह की स्थिति

6. कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी का विवाह दिनांक [तिथि] को [स्थान] पर हिंदू रीति-रिवाजों एवं संस्कारों के अनुसार हुआ था।

7. कि विवाह के पश्चात पक्षकार [पता] पर साथ रहे।

8. कि उक्त विवाह से नाबालिग बच्चा [नाम] दिनांक [तिथि] को पैदा हुआ।

9. कि याचिकाकर्ता ने सदैव नाबालिग बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और बच्चे के उचित पालन-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं।

नाबालिग बच्चे की वर्तमान अभिरक्षा

10. कि नाबालिग बच्चा वर्तमान में प्रतिवादी की अभिरक्षा में है।

11. कि प्रतिवादी के पास नाबालिग बच्चे की वर्तमान अभिरक्षा बच्चे के कल्याण एवं सर्वोत्तम हित के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं:

(क) कि प्रतिवादी ने [बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की है/उचित निगरानी प्रदान करने में असफल रहा है/याचिकाकर्ता से संपर्क रोका है/बच्चे को वैवाहिक विवादों के संपर्क में रखा है/अन्य];

(ख) कि प्रतिवादी ने बार-बार [बच्चे को याचिकाकर्ता से दूर रखा है/मुलाकात से इंकार किया है/बिना उचित कारण बच्चे का निवास बदला है/अन्य];

(ग) कि प्रतिवादी ने नाबालिग बच्चे को याचिकाकर्ता से विमुख करने का प्रयास किया है और बच्चे तथा याचिकाकर्ता के भावनात्मक संबंध को प्रभावित किया है;

(घ) कि प्रतिवादी का [विशिष्ट आचरण/परिस्थिति] नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए हानिकारक है;

(ङ) कि याचिकाकर्ता आर्थिक, भावनात्मक एवं अन्य दृष्टि से नाबालिग बच्चे को स्थिर एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की बेहतर स्थिति में है।

12. कि याचिकाकर्ता केवल कानूनी अधिकार के रूप में अभिरक्षा नहीं मांग रहा/रही है, बल्कि यह याचिका केवल नाबालिग बच्चे के कल्याण, सुरक्षा, शिक्षा, भावनात्मक विकास एवं सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से दायर की जा रही है।

बच्चे की देखभाल करने की याचिकाकर्ता की क्षमता

13. कि याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से स्वतंत्र है और नाबालिग बच्चे को उचित भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास तथा जीवन की अन्य आवश्यकताएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन रखता/रखती है।

14. कि याचिकाकर्ता [व्यवसाय/नौकरी/पेशा] में कार्यरत है और लगभग ₹_____ प्रति माह अर्जित करता/करती है।

15. कि याचिकाकर्ता [पता] पर निवास करता/करती है, जहाँ नाबालिग बच्चे के लिए पर्याप्त आवास एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध है।

16. कि याचिकाकर्ता ने नाबालिग बच्चे की शिक्षा हेतु [विद्यालय का नाम/उपयुक्त विद्यालय] में व्यवस्था की है और बच्चे की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने में सक्षम है।

17. कि याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे को उचित चिकित्सा देखभाल, भावनात्मक सहयोग एवं अभिभावकीय मार्गदर्शन प्रदान करने में भी सक्षम है।

18. कि याचिकाकर्ता ने कभी नाबालिग बच्चे को छोड़ा या उसकी उपेक्षा नहीं की है और उसने सदैव सभी अभिभावकीय जिम्मेदारियाँ निभाने की इच्छा व्यक्त की है।

नाबालिग बच्चे का कल्याण

19. कि यह स्थापित विधि है कि अभिरक्षा एवं अभिभावकता से संबंधित मामलों में नाबालिग बच्चे का कल्याण एवं सर्वोत्तम हित सर्वोपरि विचार है, न कि किसी भी माता-पिता का कानूनी अधिकार।

20. कि बच्चे के कल्याण में केवल आर्थिक सुविधा ही नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा, शिक्षा, शारीरिक सुरक्षा, नैतिक विकास, संबंधों की निरंतरता एवं स्वस्थ वातावरण भी सम्मिलित हैं।

21. कि याचिकाकर्ता इस बात का वचन देता/देती है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में होने पर प्रतिवादी और नाबालिग बच्चे के बीच स्वस्थ एवं सार्थक संबंध बनाए रखने में सहयोग करेगा/करेगी।

22. कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य प्रतिवादी को उसके वैध अभिभावकीय संबंध से वंचित करना नहीं है। याचिकाकर्ता ऐसी व्यवस्था चाहता/चाहती है जो बच्चे के कल्याण की रक्षा करे और दोनों माता-पिता से सार्थक संपर्क सुनिश्चित करे।

प्रतिवादी द्वारा संपर्क से वंचित करने का आचरण

23. कि बार-बार अनुरोध के बावजूद प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे से मिलने एवं बातचीत करने की अनुमति देने से इंकार/असफलता दिखाई है।

24. कि याचिकाकर्ता ने बार-बार प्रतिवादी से फोन/वीडियो कॉल एवं व्यक्तिगत मुलाकात की अनुमति मांगी, लेकिन प्रतिवादी ने [इंकार/उपेक्षा/टालमटोल/बाधा] की।

25. कि प्रतिवादी के आचरण से याचिकाकर्ता एवं नाबालिग बच्चे के भावनात्मक संबंध को गंभीर क्षति पहुँची है।

26. कि याचिकाकर्ता को आशंका है कि संपर्क से लगातार वंचित किए जाने से नाबालिग बच्चा याचिकाकर्ता से भावनात्मक रूप से विमुख हो सकता है।

27. कि याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए इस माननीय न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली किसी भी उचित शर्त का पालन करने के लिए तैयार है।

बच्चे की शिक्षा एवं विकास

28. कि नाबालिग बच्चा वर्तमान में [विद्यालय का नाम] में कक्षा [___] में अध्ययनरत है।

29. कि याचिकाकर्ता बच्चे की शिक्षा एवं भविष्य के प्रति अत्यंत चिंतित है और स्कूल फीस, पुस्तकों, वर्दी, परिवहन, ट्यूशन एवं अन्य शैक्षणिक खर्च वहन करने के लिए तैयार है।

30. कि याचिकाकर्ता न्यायालय के निर्देशों के अधीन बच्चे की शिक्षा एवं सामाजिक वातावरण में निरंतरता बनाए रखने के लिए भी तैयार है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ

31. कि याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे को उचित चिकित्सा उपचार एवं स्वास्थ्य बीमा/चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने में सक्षम है।

32. कि याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करने का वचन देता/देती है कि बच्चे के सभी आवश्यक टीकाकरण, चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार समय पर कराए जाएँ।

याचिकाकर्ता की कोई अयोग्यता नहीं

33. कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो कानूनी या तथ्यात्मक रूप से याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा/अभिभावकता प्राप्त करने से अयोग्य ठहराती हो।

34. कि याचिकाकर्ता को नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया गया है और उसने कभी ऐसा आचरण नहीं किया जो नाबालिग बच्चे के कल्याण के प्रतिकूल माना जा सके।

35. कि याचिकाकर्ता ने सदैव नाबालिग बच्चे के हित में कार्य किया है और इस माननीय न्यायालय के प्रत्येक निर्देश का पालन करने के लिए तैयार है।

दोनों माता-पिता के साथ बच्चे का संबंध

36. कि याचिकाकर्ता का विनम्र निवेदन है कि नाबालिग बच्चे को सामान्यतः दोनों माता-पिता के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने से लाभ होता है।

37. कि याचिकाकर्ता वचन देता/देती है कि यदि अभिरक्षा प्रदान की जाती है, तो प्रतिवादी को नाबालिग बच्चे से उचित एवं सार्थक मुलाकात/संपर्क दिया जाएगा, जो बच्चे के कल्याण एवं इच्छा तथा इस माननीय न्यायालय के आदेशों के अधीन होगा।

38. कि याचिकाकर्ता निम्नलिखित की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है: (i) नियमित व्यक्तिगत मुलाकात; (ii) फोन कॉल; (iii) वीडियो कॉल; (iv) सप्ताहांत मुलाकात; (v) उचित अवकाश मुलाकात; (vi) जन्मदिन एवं त्योहारों पर संपर्क; और (vii) ऐसा अन्य संपर्क जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे।

बच्चे की पसंद

39. कि यदि यह माननीय न्यायालय नाबालिग बच्चे को अपनी समझदार एवं स्वतंत्र पसंद व्यक्त करने के लिए पर्याप्त परिपक्व मानता है, तो याचिकाकर्ता प्रार्थना करता/करती है कि न्यायालय बच्चे से उपयुक्त बाल-अनुकूल वातावरण में बातचीत करे, ताकि उसे मुकदमे के प्रतिकूल वातावरण से बचाया जा सके।

40. कि याचिकाकर्ता वचन देता/देती है कि ऐसी बातचीत के संबंध में बच्चे को प्रभावित, सिखाया या दबाव में नहीं रखा जाएगा।

वाद-हेतु

41. कि वर्तमान याचिका दायर करने का कारण पहली बार तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने दिनांक [तिथि] को [नाबालिग बच्चे को अनुचित रूप से अपने पास रखा/अभिरक्षा से इंकार किया/मुलाकात से वंचित किया] और इसके बाद प्रत्येक अवसर पर उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को बच्चे से मिलने/बात करने की अनुमति नहीं दी।

42. कि वाद-हेतु निरंतर प्रकृति का है क्योंकि याचिकाकर्ता आज भी नाबालिग बच्चे से सार्थक संपर्क से वंचित है।

अधिकारिता

43. कि यह माननीय न्यायालय वर्तमान याचिका पर विचार एवं निर्णय करने का अधिकार रखता है क्योंकि नाबालिग बच्चा सामान्यतः [पता, एस.ए.एस. नगर/मोहाली] में निवास करता है।

44. कि पक्षकार भी इस माननीय न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में निवास करते हैं/अंतिम बार साथ रहे थे और/या पक्षकारों के बीच वैवाहिक कार्यवाही इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित/दायर है।

45. कि अतः वर्तमान याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय है।

अन्य कोई याचिका नहीं

46. कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में समान राहत की मांग करने वाली कोई अन्य याचिका किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है, सिवाय [यदि कोई हो तो विवरण]।

47. कि यदि पक्षकारों के वैवाहिक संबंध से संबंधित कोई अन्य कार्यवाही लंबित है, तो उसका विवरण निम्न है:

केस संख्या: _____ न्यायालय: _____ प्रकृति: _____ स्थिति: _____

अंतरिम अभिरक्षा/मुलाकात

48. कि नाबालिग बच्चा वर्तमान में याचिकाकर्ता के साथ सार्थक संपर्क से वंचित है और संपर्क से लगातार इंकार किए जाने से भावनात्मक क्षति होने की संभावना है।

49. कि वर्तमान याचिका के अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे से मिलने एवं बातचीत करने की अंतरिम व्यवस्था प्रदान की जाए।

50. कि याचिकाकर्ता को निम्नानुसार अंतरिम मुलाकात/संपर्क प्रदान किया जाए:

(क) प्रत्येक दूसरे दिन कम से कम 20–30 मिनट की वीडियो कॉल;

(ख) प्रत्येक शनिवार/रविवार अथवा न्यायालय द्वारा उचित समझे गए दिन व्यक्तिगत मुलाकात;

(ग) बच्चे की आयु एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए, जहाँ उचित हो, रात/सप्ताहांत की अंतरिम अभिरक्षा;

(घ) स्कूल की छुट्टियों/दीर्घ अवकाश का आधा भाग;

(ङ) बच्चे के जन्मदिन एवं महत्वपूर्ण त्योहारों पर उचित संपर्क;

(च) ऐसा अन्य संपर्क जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे।

51. कि याचिकाकर्ता न्यायालय के निर्देशानुसार किसी उपयुक्त तटस्थ स्थान से बच्चे को लेने एवं वापस छोड़ने के लिए तैयार है।

52. कि याचिकाकर्ता यह वचन देता/देती है कि नाबालिग बच्चे को इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी को वापस सौंप दिया जाएगा।

सुविधा का संतुलन

53. कि सुविधा का संतुलन नाबालिग बच्चे के हित में याचिकाकर्ता के साथ सार्थक एवं नियमित संपर्क के पक्ष में है।

54. कि यदि उचित मुलाकात/संपर्क प्रदान किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई वास्तविक नुकसान नहीं होगा, जबकि संपर्क से लगातार इंकार किए जाने से याचिकाकर्ता एवं बच्चे के भावनात्मक संबंध को गंभीर एवं संभावित रूप से अपूरणीय क्षति होगी।

बच्चे के सर्वोत्तम हित

55. कि याचिकाकर्ता पुनः स्पष्ट करता/करती है कि वर्तमान याचिका वैवाहिक विवाद का साधन अथवा प्रतिवादी को परेशान करने के उद्देश्य से दायर नहीं की गई है।

56. कि याचिकाकर्ता केवल ऐसी अभिरक्षा/संपर्क व्यवस्था चाहता/चाहती है जो नाबालिग बच्चे के कल्याण एवं सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

57. कि याचिकाकर्ता बच्चे की उपस्थिति में प्रतिवादी के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी न करने और बच्चे को दोनों माता-पिता के प्रति सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने का वचन देता/देती है।

आधार

(क) क्योंकि अभिरक्षा कार्यवाही में नाबालिग बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार है।

(ख) क्योंकि याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक माता/पिता है और उचित देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा एवं भावनात्मक सहयोग प्रदान करने में सक्षम है।

(ग) क्योंकि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को सार्थक संपर्क से अनुचित रूप से वंचित किया है।

(घ) क्योंकि अभिभावकीय संपर्क से लगातार वंचित करना बच्चे के भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विकास के प्रतिकूल है।

(ङ) क्योंकि याचिकाकर्ता के पास बच्चे की देखभाल हेतु पर्याप्त आर्थिक साधन एवं उपयुक्त आवासीय वातावरण है।

(च) क्योंकि याचिकाकर्ता प्रतिवादी और बच्चे के बीच स्वस्थ संबंध बनाए रखने में सहयोग करने को तैयार है।

(छ) क्योंकि बच्चे के कल्याण के लिए स्थिर, सुरक्षित एवं भावनात्मक रूप से सहायक वातावरण आवश्यक है।

(ज) क्योंकि प्रतिवादी का उपर्युक्त आचरण उपयुक्त न्यायिक रूप से विनियमित अभिरक्षा/मुलाकात व्यवस्था की आवश्यकता दर्शाता है।

(झ) क्योंकि याचिकाकर्ता बच्चे के कल्याण की रक्षा हेतु न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है।

(ञ) क्योंकि नाबालिग बच्चे के हितों को पक्षकारों के वैवाहिक मतभेदों के अधीन नहीं किया जा सकता।

प्रार्थना

(क) मास्टर/मिस [नाम] नाबालिग बच्चे के व्यक्ति का अभिभावक याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार नियुक्त/घोषित किया जाए;

(ख) नाबालिग बच्चे की स्थायी/भौतिक अभिरक्षा बच्चे के सर्वोपरि हित एवं कल्याण में याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए;

(ग) प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि इस माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को सौंपे;

(घ) वैकल्पिक रूप से, यदि तत्काल स्थायी अभिरक्षा प्रदान नहीं की जाती, तो याचिकाकर्ता को उदार एवं सार्थक मुलाकात/संपर्क अधिकार दिए जाएँ, जिनमें व्यक्तिगत मुलाकात, रात/सप्ताहांत अभिरक्षा, अवकाश अभिरक्षा, फोन एवं वीडियो कॉल सम्मिलित हों;

(ङ) याचिका के अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ता को उपयुक्त अंतरिम अभिरक्षा/मुलाकात/संपर्क प्रदान किया जाए;

(च) यदि बच्चे के कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाए तो प्रतिवादी को बिना इस माननीय न्यायालय की पूर्व अनुमति के नाबालिग बच्चे को इस न्यायालय की अधिकारिता से बाहर ले जाने से रोका जाए;

(छ) प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि नाबालिग बच्चे के विद्यालय, शैक्षणिक रिकॉर्ड, चिकित्सा उपचार एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण विवरण याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराए;

(ज) दोनों पक्षों को नाबालिग बच्चे की उपस्थिति या सुनवाई के दौरान एक-दूसरे के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियाँ करने से रोका जाए;

(झ) ऐसा अन्य आदेश/आदेश पारित किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय नाबालिग बच्चे के सर्वोपरि हित एवं कल्याण में उचित समझे।

और इस कृपा के लिए याचिकाकर्ता, अपने कर्तव्य के रूप में, सदैव प्रार्थी रहेगा/रहेगी।

स्थान: एस.ए.एस. नगर (मोहाली)
दिनांक: _____

याचिकाकर्ता
द्वारा अधिवक्ता

सत्यापन

मैं, [याचिकाकर्ता का नाम], पुत्र/पुत्री/पत्नी [नाम], आयु लगभग ___ वर्ष, निवासी [पता], उपर्युक्त नामित याचिकाकर्ता, सत्यापित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त याचिका के अनुच्छेद 1 से 57 की सामग्री मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है, इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है और इसमें कुछ भी असत्य नहीं है।

एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में दिनांक _____, 2026 को सत्यापित।

याचिकाकर्ता

शपथपत्र

मैं, [याचिकाकर्ता का नाम], पुत्र/पुत्री/पत्नी [नाम], आयु लगभग ___ वर्ष, निवासी [पूरा पता], शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:

1. कि मैं संलग्न याचिका में याचिकाकर्ता हूँ और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित हूँ।

2. कि संलग्न याचिका के अनुच्छेद 1 से 57 की सामग्री मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

3. कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है और याचिका का कोई भाग असत्य नहीं है।

शपथकर्ता

सत्यापन

एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में दिनांक _____, 2026 को सत्यापित किया जाता है कि उपर्युक्त शपथपत्र की सामग्री मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है और कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता

अंतरिम मुलाकात/अभिरक्षा हेतु आवेदन

माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब के न्यायालय में

जी.डब्ल्यू. याचिका संख्या ___ वर्ष 2026
[याचिकाकर्ता] बनाम [प्रतिवादी]

अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 12 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 के साथ पढ़ते हुए नाबालिग बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा/मुलाकात एवं संपर्क प्रदान करने हेतु आवेदन

सविनय निवेदन है:

1. कि आवेदक/याचिकाकर्ता ने नाबालिग बच्चे [नाम] की अभिरक्षा/अभिभावकता हेतु संलग्न याचिका दायर की है, जिसे वर्तमान आवेदन का भाग माना जाए।

2. कि नाबालिग बच्चा वर्तमान में प्रतिवादी की अभिरक्षा में है।

3. कि प्रतिवादी आवेदक को नाबालिग बच्चे से सार्थक संपर्क करने से वंचित कर रहा है।

4. कि नाबालिग बच्चा आवेदक के प्रेम, स्नेह, मार्गदर्शन एवं साथ से वंचित हो रहा है।

5. कि संपर्क से लगातार वंचित करना आवेदक और नाबालिग बच्चे के भावनात्मक संबंध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

6. कि आवेदक इस माननीय न्यायालय द्वारा लगाई गई किसी भी सुरक्षा/शर्त का पालन करने के लिए तैयार है।

7. कि नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि परिस्थितियों के अधीन बच्चे का दोनों माता-पिता के साथ सार्थक संपर्क बना रहे।

प्रार्थना

(क) आवेदक को प्रत्येक सप्ताहांत अथवा न्यायालय द्वारा उचित समझे गए दिनों में नाबालिग बच्चे से अंतरिम व्यक्तिगत मुलाकात प्रदान की जाए;

(ख) आवेदक को प्रत्येक दूसरे दिन फोन/वीडियो कॉल के माध्यम से नाबालिग बच्चे से बातचीत की अनुमति दी जाए;

(ग) बच्चे की आयु एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए, जहाँ उचित हो, रात/सप्ताहांत की उचित अंतरिम अभिरक्षा प्रदान की जाए;

(घ) स्कूल की छुट्टियों, जन्मदिन एवं त्योहारों के दौरान आवेदक को उचित संपर्क दिया जाए;

(ङ) प्रतिवादी को आवेदक के वैध मुलाकात/संपर्क अधिकार में बाधा डालने से रोका जाए;

(च) नाबालिग बच्चे के सर्वोपरि कल्याण एवं हित में ऐसा अन्य आदेश पारित किया जाए जिसे न्यायालय उचित समझे।

आवेदक/याचिकाकर्ता
द्वारा अधिवक्ता

दस्तावेज/अनुलग्नक

1. विवाह प्रमाणपत्र/विवाह का प्रमाण।

2. नाबालिग बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र।

3. याचिकाकर्ता का आधार/पहचान प्रमाण।

4. याचिकाकर्ता का पता प्रमाण।

5. बच्चे का विद्यालय रिकॉर्ड/रिपोर्ट कार्ड, यदि उपलब्ध हो।

6. याचिकाकर्ता की नौकरी/व्यवसाय/पेशा का प्रमाण।

7. आय संबंधी दस्तावेज, यदि प्रासंगिक हों।

8. उपयुक्त आवासीय व्यवस्था का प्रमाण।

9. बच्चे के चिकित्सा रिकॉर्ड, यदि उपलब्ध हों।

10. मुलाकात के अनुरोध दर्शाने वाले WhatsApp/SMS/ई-मेल संवाद।

11. कॉल रिकॉर्ड/स्क्रीनशॉट, जहाँ विधि की दृष्टि से प्रासंगिक एवं स्वीकार्य हों।

12. याचिकाकर्ता एवं बच्चे के संबंध को दर्शाने वाले फोटो।

13. अभिरक्षा/मुलाकात से संबंधित पूर्व न्यायालयीन आदेश।

14. लंबित वैवाहिक कार्यवाही की प्रति, यदि कोई हो।

15. प्रतिवादी के आचरण के संबंध में जिस शिकायत/FIR/DD प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज पर भरोसा किया गया हो।

16. नाबालिग बच्चे के कल्याण एवं सर्वोत्तम हित को दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज।